प्रति,

1. कमिश्नर ऑफ पुलिस,
   जहांगीराबाद, भोपाल
   ई–मेल : **pc.bhopal@mppolice.gov.in**

2. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस,
   जोन–4, भोपाल
   ई–मेल : **dcpzone4.bhopal@mppolice.gov.in**

विषय– श्री दिलीप अग्रवाल, कॉलोनाइजर (बिल्डर) मेसर्स S.V. Infra Developer की ओर से दबाव एवं धमकियां मिलने बाबत्।

महोदय,

1. अधोहस्ताक्षर कर्ता प्रीमियर ओर्चर्ड कॉलोनी, करोंद बाई पास रोड, रासलाखेड़ी, पिपुल्स माल के पीछे निवासरत है। इस कॉलोनी से संबंधित पूर्व के कॉलोनाईजर (बिल्डर) मेसर्स **S.V. Infra Developer** भोपाल ने संयुक्त, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कचनार ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल के कार्यालय से संशोधित अभिन्यास के संबंध मे अनुमति चाही थी, जिसके संबंध में संयुक्त, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के द्वारा कॉलोनी वासियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थी।
2. अधोहस्ताक्षर कर्ता ने दिनांक 20/01/26 को स्वयं तथा दिनांक 27/01/26 को संयुक्त रूप से लिखित में स्पीड पोस्ट/ई–मेल भेजकर आपत्ति प्रस्तुत की थी। प्रकरण मे संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल ने उनके पत्र क्रमांक 23/ना.ग्रा.नि./2026 भोपाल दिनांक 02/03/26 के द्वारा पत्र जारी कर दिनांक 12/03/26 को उनके कार्यालय में सुनवाई की थी जिसके संबंध मे अधोहस्ताक्षर कर्ता ने दिनांक 12/03/26 को सुनवाई मे भी लिखित आपत्ति प्रस्तुत की थी। संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का पत्र क्रमांक 23/ना.ग्रा.नि./2026 की प्रति संलग्न है।
3. दिनांक 12/03/26 को संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालय में सुनवाई के पश्चात जब अधोहस्ताक्षर कर्ता वहा से घर वापस आ रहा था तब रास्ते मे मुझे व्हाट्स एप नम्बर 8770856099 से 4 बजकर 52 मिनट (पी एम) पर मेरे व्हाट्स एप नम्बर 9752068493 पर कॉल आया कि संयुक्त संचालक, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग मे जो अभिन्यास के संबंध मे सुनवाई हुई है उसके संबंध मे वे मुझ से व्यक्तिगत मिलकर मुझे खुश कर देना चाहते है तथा व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते है लेकिन मैने व्यक्तिगत रूप से मिलने से इंकार कर दिया तथा कहा कि कॉलोनी वासियों की समस्याओं से जुड़ा मामला है और उसके संबंध मे संबंधित कार्यालय को समस्याओं से अवगत करा दिया गया है। उक्त व्हाट्सएप नम्बर पर जतिन हसवानी के नाम से व्हाट्सएप नम्बर दिख रहा था।
4. दिनांक 24/03/26 मंगलवार को सांय 5.47 बजे श्री नीतू चौहान जो मेरे ही कॉलोनी के निवासी है उनका उनके मोबाइल नं. 6232385219 से मेरे मोबाइल नं. 9752068493 पर कॉल आया कि कॉलोनी के पूर्व के बिल्डर श्री अग्रवाल जी मुझसे व्यक्तिगत मिलना चाहते है तब मैने श्री चौहान को बताया कि मेरी कोई निजी समस्या नही है कॉलोनी की समस्या है, मुझे निजी तौर व्यक्तिगत रूप से नही मिलना है और मिलने से इंकार कर दिया। मुझे अगले दिन 25/03/26 को श्री नीतू चौहान ने कॉलोनी मे घूमते वक्त मिलने पर बताया कि मुझसे मिलने के लिए पूर्व के बिल्डर श्री दिलीप अग्रवाल के लड़के उनके घर गनमैन के साथ आये थे तथा मुझसे मिलना चाह रहे थे लेकिन मेरे द्वारा मोबाइल पर मना कर देने से श्री चौहान ने उन्हे बता दिया कि वे (मै) नही मिलूंगा।
5. दिनांक 27/03/26 को मेरे मोबाइल नं. 9752068493 पर मोबाइल नं. 7389933933 से एक कॉल 8.18 पी एम पर आया और संबंधित ने कॉल पर अपना सरनेम ठाकुर बताया तथा मुझे मेरे सरनेम से पुकारते हुए कहा कि आप प्रीमियर ओर्चर्ड कॉलोनी मे रहते है और उन्हे पांच मिनट बात करना है तब मैने कहा कि मै आपसे परिचित नही हूँ। मुझसे आपकों क्या हेल्प

चाहिए आप कहा से है और क्या करते है तब उन्होने कहा कि वे बावड़िया कला मे रहते है तथा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र देने का काम करते है और लियाजनिंग का काम करते है। मैने उनसे कहा कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र देने का क्या आशय है आप वास्तविक रूप से क्या काम करते है तो उन्होने कहा कि मै सारे काम करता हूँ जन्म से लेकर मरण तक के तब मैने कहा कि आप चाहते क्या है तब उन्होने कहा कि टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग मे जो मैटर चल रहा है उसके सिलसिले मे मुझसे बात करना चाहते है तब मैने उनसे कहा कि हमारी कॉलोनी की समस्या है। मुझे इस संबंध मे मुझे कोई व्यक्तिगत तौर से कोई बात नही करना और मैने मोबाइल काट दिया। उसके बाद पुनः इसी नम्बर से 8.22 पी.एम. पर कॉल आया लेकिन मैने कॉल रिसीब नही किया।

6. संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, कचनार, ई–5, अरेरा कॉलोनी भोपाल के लोक सूचना अधिकारी से मेरे द्वारा दिनांक 20/03/26 को पत्र भेजकर प्रकरण के निराकरण के संबंध में जानकारी चाही गई है। संबंधित प्रकरण मे जब प्रकरण संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण निवेश भोपाल मे कार्यालय मे चल रहा है तब इस प्रकार से बार–बार कॉल करवाना बिल्डर के द्वारा पूरी तरह से अनुचित है।
7. उपरोक्त कृत्य से यह स्पष्ट है कि पूर्व कॉलोनाइजर (बिल्डर) मेसर्स **S.V. Infra Developer** भोपाल श्री नितिन अग्रवाल मुझे प्रलोभन देकर मुझे दबाना चाहते थे लेकिन जब वे इसमें सफल नही हुए तो वे मुझे धौस दिलाकर कॉलोनी वासियों के हितों का कुठाराघात करना चाहते है तथा मुझे मान्सिक तौर पर आतंकित करवा देना चाहते है। अतः अंतिम काल (तथाकथित श्री ठाकुर के कॉल से) से स्पष्ट है कि संबंधित मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र देना चाहते है जो कि एक धमकी भरा कॉल था। अतः इस संबंध में निवेदन है कि उपरोक्त स्थिति के कारण मुझे किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति होती है तो उसके लिये श्री नितिन अग्रवाल पूर्व कॉलोनाइजर (बिल्डर) मेसर्स **S.V. Infra Developer** एवं उनके गुर्गे जो कॉलोनी मे और कॉलोनी के बाहर रहते है और जिनकों उन्होने पाल रखा है वे सब जिम्मेवार होंगे। कृपया इस संबंध मे जाँच कराई जाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाई कराये जाने का कष्ट करें।

स्थान – भोपाल
दिनांक : 28/03/2026

28/3/26

आर.बी.प्रजापति, पूर्व आई.ए.एस.
427, प्रीमियर ओर्चर्ड कॉलोनी,
करोंद बाई पास रोड, भोपाल–462037
मो.नं. 9752068493
ई–मेल : rbprajapati2008@gmail.com

प्रतिलिपि,

1. **थाना प्रभारी, थाना निशातपुरा की ओर उनके ई–मेल : ps.nishatpura-bpl@mppolice.gov.in एवं उनके व्हाट्स एप नम्बर 9826174220 के माध्यम से कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अनुरोध है।**
2. **श्री मुकेश गुप्ता, प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक, प्रीमियर ओर्चर्ड सोसाइटी को उनके व्हॉटएप नम्बर 9131552951 पर भेजकर अनुरोध है कि समिति मे सिक्योरिटी गार्डस को सख्त निर्देश दिए जाऐं कि सोसाइटी में आवाछनीय तत्व प्रवेश न करें।**

28/3/26

आर.बी.प्रजापति, पूर्व आई.ए.एस.
427, प्रीमियर ओर्चर्ड कॉलोनी,
करोंद बाई पास रोड, भोपाल–462037
मो.नं. 9752068493
ई–मेल : rbprajapati2008@gmail.com

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश

कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016
E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक 23 / /नग्रानि/2026 भोपाल, दिनांक 02/03/2026

प्रति,

1- श्री राजा भैया प्रजापति, निवासी 427 प्रीमीयरऑर्चर्ड कालोनी , करोंद बॉयपास रोड पीपल्स मॉल के पीछे भोपाल म.प्र. 462037

2- श्री ए के सिंग निवासी 369 प्रीमीयरऑर्चर्ड कालोनी ,करोंद बॉयपास रोड पीपल्स मॉल के पीछे ,भोपाल म.प्र. 462037

3- श्री अमित कुमार सिंग , निवासी 284 प्रीमीयरऑर्चर्ड कालोनी , करोंद बॉयपास रोड पीपल्स मॉल के पीछे भोपाल म.प्र. 462037

4- श्री डेनीराज साहूं निवासी 287 प्रीमीयरऑर्चर्ड कालोनी , करोंद बॉयपास रोड पीपल्स मॉल के पीछे भोपाल म.प्र. 462037

5- श्री विकल्प एवं प्रतीक निवासी 290 प्रीमीयरऑर्चर्ड कालोनी , करोंद बॉयपास रोड पीपल्स मॉल के पीछे भोपाल म.प्र. 462037

6- श्री महेश झा निवासी 291 प्रीमीयरऑर्चर्ड कालोनी , करोंद बॉयपास रोड पीपल्स मॉल के पीछे भोपाल म.प्र. 462037

विषयः- ग्राम **Raslakhedi** तहसील **Huzur** जिला **Bhopal** के खसरा क्रमांक **6/1 (S) (शामिल खसरा -), 6/2 (S) (शामिल खसरा -)** कुल रकबा 8.566 हेक्टर भूमि में मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) के आधीन उपांतरण बावत्।

संदर्भः- आपके द्वारा ऑन लाइन प्रेषित उपांतरण से संबन्धित आपत्ति / सुझाव बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक BPLLP2110/LP-83/29(23)/ 2011 दिनांक 10/APR/2017 द्वारा ग्राम **Raslakhedi** तहसील **Huzur** जिला **Bhopal** के खसरा क्रमांक **6/1 (S)** (शामिल खसरा -), **6/2 (S)** (शामिल खसरा -) कुल रकबा 8.566 हेक्टर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी।

M/S S.V. INFRA DEVELOPERS THROUGH MR. NITIN AGRAWAL S/O MR. V.K. GUPTA, व्दारा उक्त भूमि में मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) के आधीन प्राप्त उपांतरण के आवेदन के संबंध में आपका कार्यालय में ऑन लाइन आपत्ति /सुझाव प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त के संबंध मे यदि आपको संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल के समक्ष कोई सारवान कथन प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 12.03.2026 को **अपराह्न** 4.0 बजे ऊपर उल्लेखित कार्यालय पता पर अपने समर्थन में पहचान पत्र एवं सुसंगत दस्तावेजों सहित सुनवाई हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला
भोपाल-सीहोर-रायसेन, म0 प्र0

पृ. क्रमांक / /नग्रानि/2026 भोपाल, दिनांक /

प्रतिलिपिः-

M/S S.V. INFRA DEVELOPERS THROUGH MR. NITIN AGRAWAL S/O MR. V.K. GUPTA, निवासी (HOUSE NO. 1, MOUNT VIEW VILLAS CHUNA BHATTI KOLAR ROAD) की ओर नियत दिनांक एवं समय पर उपस्थित होने हेतु।

-sd-

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला
भोपाल-सीहोर-रायसेन, म0 प्र0